



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092023-249043
CG-DL-E-29092023-249043

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4078]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2023/आश्विन 5, 1945

No. 4078]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2023/ASVINA 5, 1945

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2023

सां.आ. 4248(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार की राय है कि सार्वजनिक और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश किया जाता है, अर्थात्: -

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** - (1) इस आदेश को एग्री टेक्सटाइल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जा सकता है।
(2) यह आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त होगा।
- आवेदन** - यह आदेश इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट सामानों या वस्तुओं पर लागू होगा, परंतु निर्यात के लिए बने ऐसे सामानों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग** - उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट सामान या वस्तु उसके कॉलम (3) में निर्दिष्ट संबंधित भारतीय मानक के अनुरूप होगी और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की योजना-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस के तहत मानक चिह्न धारण करेगी।
- प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी** - भारतीय मानक ब्यूरो उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट सामानों या वस्तुओं के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

5. उल्लंघन के लिए जुर्माना - जो भी व्यक्ति, जो इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के प्रावधानों के अनुसार दंडनीय होगा।

अनुसूची

क्र.सं.	सामान या वस्तुएं	भारतीय मानक (आईएस)	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	क्रॉप कवर और फ्रूट स्कर्टिंग बैग्स	आईएस 16718 : 2021	टेक्सटाइल्स - कृषि और हॉर्टीकल्चर अनुप्रयोगों के लिए पॉलीप्रोपाइलीन स्पन बॉन्डेड नॉन-वुवन क्रॉप कवर और फ्रूट स्कर्टिंग बैग्स - विशिष्टता
2	इन्सेक्ट नेट्स	आईएस 16513: 2016	एग्रो टेक्सटाइल्स - कृषि और हॉर्टीकल्चर उद्देश्य के लिए इन्सेक्ट नेट्स - विशिष्टता
3	हॉर्टीकल्चर के लिए वुवन ग्राउंड कवर्स	आईएस 16202: 2014	एग्रो टेक्सटाइल्स- हॉर्टीकल्चर अनुप्रयोग के लिए वुवन ग्राउंड कवर्स - विशिष्टता
4	जूट मैट	आईएस 17070 : 2019	पौधों की वृद्धि और खरपतवारों को हटाने के लिए जूट एग्रो टेक्सटाइल्स - विशिष्टता
5	वर्मीकल्चर बेड्स	आईएस 15907: 2010	एग्रो टेक्सटाइल्स- वर्मीकल्चर के लिए उच्च घनत्व पॉलीइथाइलीन (एचडीपीई) वुवन बेड्स - विशिष्टता
6	सैपलिंग बैग्स	आईएस 16089 : 2013	जूट एग्रो- टेक्सटाइल्स - सीडलिंग/सैपलिंग की वृद्धि के लिए सैपलिंग बैग्स- विशिष्टता
7	सिंचाई के लिए एचडीपीई लेमिनेटेड वुवन फ्लैट ले ट्यूब	आईएस 16190 : 2014	एग्रो टेक्सटाइल्स - सिंचाई प्रयोजन के लिए उच्च घनत्व पॉलीइथाइलीन (एचडीपीई) लेमिनेटेड वुवन फ्लैट ले ट्यूब - विशिष्टता
8	नायलॉन निटेड सीमलेस दस्ताने	आईएस 16390: 2015	एग्रो टेक्सटाइल्स- तंबाकू हार्वेस्टर के लिए नायलॉन बुना हुआ सीमलेस दस्ताने- विशिष्टता
9	ड्रिप सिंचाई के लिए एचडीपीई लेमिनेटेड वुवन फ्लैट ले ट्यूब	आईएस 16627: 2017	एग्रो टेक्सटाइल्स - ड्रिप सिंचाई प्रणाली के मेन और सबमेन में उपयोग के लिए हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन (एचडीपीई) लेमिनेटेड वुवन फ्लैट ले ट्यूब - विशिष्टता
10	नॉन-वुवन मल्व मैट	आईएस 17355 : 2020	एग्रो टेक्सटाइल्स - कृषि और टीकल्चर अनुप्रयोगों के लिए प्रोपलीन स्पन बांडेड नॉन-वुवन मल्व मैट - विशिष्टता
11	विंडशील्ड नेट्स	आईएस 17356 : 2020	एग्रो टेक्सटाइल्स - कृषि और हॉर्टीकल्चर उद्देश्य के लिए विंडशील्ड नेट्स - विशिष्टता
12	हारवेस्ट नेट्स	आईएस 17357 : 2020	एग्रो टेक्सटाइल्स- कृषि और हॉर्टीकल्चर उद्देश्यों के लिए हार्वेस्ट नेट्स - विशिष्टता
13	फेंसिंग नेट्स (एक्सट्रूडेड पॉलिमर)	आईएस 17358 (भाग 1) : 2020	एग्रो टेक्सटाइल्स - कृषि और हॉर्टीकल्चर उद्देश्यों के लिए फेंसिंग नेट्स - विशिष्टता भाग-1 एक्सट्रूडेड पॉलिमर मेश से बने फेंसिंग नेट्स
14	फेंसिंग नेट्स (मोनो फिलामेंट और टेप यार्न)	आईएस 17358 (भाग 2) : 2020	एग्रो टेक्सटाइल्स - कृषि और हॉर्टीकल्चर उद्देश्यों के लिए फेंसिंग नेट्स - विशिष्टता भाग 2 मोनो फिलामेंट यार्न और टेप और मोनो फिलामेंट यार्न के संयोजन से बने फेंसिंग नेट्स
15	प्लांट सपोर्ट नेट्स	आईएस 17513 : 2020	एग्रो टेक्सटाइल्स - कृषि और हॉर्टीकल्चर उद्देश्यों के लिए प्लांट सपोर्ट नेट्स - विशिष्टता

16	वर्षा सिंचाई प्रणाली के लिए फ्लैट ले ट्यूब	आईएस 17728 : 2021	एग्रो टेक्सटाइल्स - वर्षा सिंचाई प्रणाली में उपयोग के लिए हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन (एचडीपीई) लेमिनेटेड बुवन फ्लैट ले ट्यूब और फिटिंग्स - विशिष्टता
17	फ्लैक्सीबल वाटर स्टोरेज टैंक	आईएस 17729 : 2021	एग्रो-टेक्सटाइल - कृषि और हॉर्टिकल्चर प्रयोजनों के लिए फ्लैक्सीबल वाटर स्टोरेज टैंक - विशिष्टता
18	हेल प्रोटेक्शन नेट्स (निटेड)	आईएस 17730 (भाग 1) : 2021	एग्रो-टेक्सटाइल्स - कृषि और हॉर्टिकल्चर प्रयोजनों के लिए हेल प्रोटेक्शन नेट्स विशिष्टता भाग 1 वार्प निटेड हेल प्रोटेक्शन नेट्स
19	हेल प्रोटेक्शन नेट्स (बुवन)	आईएस 17730 (भाग 2) : 2021	एग्रो-टेक्सटाइल - कृषि और हॉर्टिकल्चर प्रयोजनों के लिए हेल प्रोटेक्शन नेट्स विशिष्टता भाग 2 बुवन हेल प्रोटेक्शन नेट्स
20	ऑर्चर्ड प्रोटेक्शन कवर्स	आईएस 17731 : 2021	एग्रो-टेक्सटाइल्स - लैमिनेटेड बुवन ऑर्चर्ड प्रोटेक्शन कवर्स - विशिष्टता

नोट: अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के खंड (17) के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर स्थापित और प्रकाशित भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण, ऐसे प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[फा.सं. 6/1/2021-आरएंडडी (पार्ट-5)]

राजीव सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

Order

New Delhi, the 27th September, 2023

S.O. 4248(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-

- Short title and commencement.** – (1) This Order may be called the Agro Textiles (Quality Control) Order, 2023.
(2) This order shall come into force on 1st April, 2024.
- Application.** – This Order shall apply to goods or article specified in column (2) of the Schedule annexed to this Order, but shall not apply to such goods or article meant for export.
- Compulsory use of Standard Mark.** – The goods or article specified in column (2) of the said Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (3) thereof and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-I of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- Certifying and enforcement authority.** – The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (2) of the said Schedule.
- Penalty for contravention.** – Any person, who contravenes the provisions of this Order, shall be punishable in accordance with the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).

SCHEDULE

Sl. No.	Goods or article	Indian Standard (IS)	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Crop Cover and Fruit Skirting Bags	IS 16718 : 2021	Textiles— Polypropylene Spun Bonded Non—Woven Crop Cover and Fruit Skirting Bags for Agriculture and Horticulture Applications—Specification

2	Insect nets	IS 16513 : 2016	Agro Textiles— Insect nets for Agriculture and Horticulture purpose— Specification
3	Woven Ground covers for Horticulture	IS 16202 : 2014	Agro Textiles— Woven Ground covers for Horticulture Application— Specification
4	Jute Mat	IS 17070 : 2019	Jute Agro textiles for Growth of Plants and Suppression of Weeds Specification
5	Vermiculture beds	IS 15907 : 2010	Agro Textiles— High Density Polyethylene (HDPE) woven beds for vermiculture— Specification
6	Sapling bags	IS 16089 : 2013	Jute Agro—textiles — Sapling bags for growth of seedling /sapling— Specification
7	HDPE Laminated Woven Flat lay tube for irrigation	IS 16190 : 2014	Agro Textiles — High Density Polyethylene (HDPE) laminated woven lay flat tube for irrigation purpose— Specification
8	Nylon Knitted seamless gloves	IS 16390 : 2015	Agro Textiles— Nylon Knitted seamless gloves for tobacco harvesters— Specification
9	HDPE Laminated Woven Flat lay tube for drip irrigation	IS 16627 : 2017	Agro Textiles - High density polyethylene (HDPE) laminated woven lay flat tube for use in mains and submains of drip irrigation system— specification
10	Non - Woven mulch mat	IS 17355 : 2020	Agro Textiles — Propylene Spun bonded non—woven mulch mat for agriculture and horticulture applications— specification
11	Windshield nets	IS 17356 : 2020	Agro Textiles— Windshield nets for agriculture and horticulture purpose— specification
12	Harvest nets	IS 17357 : 2020	Agro Textiles— Harvest nets for agriculture and horticulture purposes — specification
13	Fencing nets (extruded polymer)	IS 17358 (Part 1) : 2020	Agro textiles — Fencing nets for agriculture and horticulture purposes — Specification Part 1 Fencing nets made from extruded polymer mesh
14	Fencing nets (mono filament and tape yarn)	IS 17358 (Part 2) : 2020	Agro textiles — Fencing nets for agriculture and horticulture purposes — Specification Part 2 Fencing nets made from mono filament yarns and combination of tape and mono filament yarns
15	Plant Support Nets	IS 17513 : 2020	Agro Textiles — Plant Support Nets for Agriculture and Horticulture Purposes — Specification
16	Flat Lay Tube for rain irrigation system	IS 17728 : 2021	Agro Textiles — High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Lay Flat Tube and Fittings for use in Rain Irrigation System — Specification
17	Flexible Water Storage Tank	IS 17729 : 2021	Agro—Textiles Flexible Water Storage Tank for Agriculture and Horticulture Purposes Specification
18	Hail Protection Nets (Knitted)	IS 17730 (Part 1) : 2021	Agro—Textiles - Hail Protection Nets for Agriculture and Horticulture Purposes Specification Part 1 Warp Knitted Hail Protection Nets

19	Hail Protection Nets (woven)	IS 17730 (Part 2) : 2021	Agro—Textiles - Hail Protection Nets for Agriculture and Horticulture Purposes Specification Part 2 Woven Hail Protection Nets
20	Orchard Protection Covers	IS 17731 : 2021	Agro—Textiles - Laminated Woven Orchard Protection Covers - Specification

[F.No.. 6/1/2021-R&D (Pt.5)]

RAJEEV SAXENA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032024-253440
CG-DL-E-28032024-253440

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1498]
No. 1498]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2024/चैत्र 8, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2024/CHAITRA 8, 1946

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2024

का.आ. 1579(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-खंड (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-खंड (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:-

लघु शीर्षक और प्रारंभ.-(1) इस आदेश को एग्री टेक्सटाइल्स गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

एग्री टेक्सटाइल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के पैरा 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

“(2) यह आदेश 1 जुलाई, 2024 से लागू होगा ”

[फा. सं. 6/1/2021-आर एंड डी (भाग 5)]

राजीव सक्सेना, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 27 सितंबर, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4248 (अ) के तहत प्रकाशित हुआ था।

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 28th March, 2024

S.O. 1579(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary to do so in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-

- Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Agro Textiles (Quality Control) Amendment Order, 2024.
(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.
- In the Agro Textiles (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :-
“(2) *This order shall come into force on the 1st July 2024.*”

[F. No. 6/1/2021-R&D (Pt.5)]

RAJEEV SAXENA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 4248(E) dated 27th September, 2023.